



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

881738

विद्युत वितरण की संविधान विवरण

1 JUL 2010

1- भूमि का प्रकार

2- बाट परचना

3- मीहला/पान

4- सम्पत्ति का विवरण

5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल

क्षेत्रफल 0.0510 हैक्टर, खसरा संख्या 400/10 क्षेत्रफल 0.0510 हैक्टर, खसरा संख्या 402 क्षेत्रफल 0.0760 हैक्टर व खसरा संख्या 404 क्षेत्रफल 0.7840 हैक्टर, खसरा संख्या 448 क्षेत्रफल 0.7700 हैक्टर खसरा संख्या 447 क्षेत्रफल 0.4100 हैक्टर, खसरा संख्या 449 क्षेत्रफल 0.5820 हैक्टर, खसरा संख्या 496 क्षेत्रफल 0.1770 हैक्टर कुल खसरा संख्या 8 कुल भूमि 2.9340 हैक्टर का एक बटा जात भाग यानि 0.3668 हैक्टर भूमि यानि प्रधान पथ का कुल इक व विभिन्न विद्युत पान तिसादी परचना तहसील व जिला मेरठ, जिनका विवरण विद्युत पत्र में दिया गया है।

6- सड़क की स्थिति

7- प्रकृतिक की स्थिति

प्रधान पथ की संख्या -1

1- मोहम्मद मुजीब सिद्दुकी पुत्र मोहम्मद तय्यब अली उर्फ मुहंती मोहम्मद तय्यब सिद्दुकी निवासी 64, मुहंतीबादा, मेरठ शहर द्वारा पंजीकृत मुकामेआन मोहम्मद मुजीब सिद्दुकी पुत्र मोहम्मद तय्यब अली उर्फ मुहंती मोहम्मद तय्यब सिद्दुकी निवासी 64, मुहंतीबादा, मेरठ शहर ।।

द्वितीय पथ की संख्या -1

1- मैसर्स एचमे इन्फ्राबिल्डिन्स (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड (ए कम्पनी इनओरपोरेटेड अन्धर कम्पनीज एक्ट 1956, कम्पनी-अर्जं डी नं 245201/यूपी2008बीटीसी006392) द्वारा संपोर्ण श्री लोच चन्द पुत्र लक्ष्मी धर्मा दास निवासी 39 ट्रेड 16, सिविली रोड, मेरठ शहर : पैन नं : AAHCA4462CAA

उपस्थान - कृषि

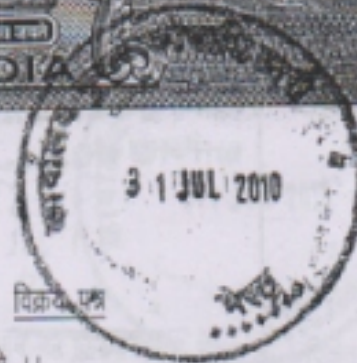
अवस्थाप -

For ACME INFRABUILDTECH (INDIA) PVT. L.

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



881737

विक्रय पत्र अंकन :- 29,34,000/- रुपये ॥

मालियत बाजारी :- 44,01,000/- रुपये ॥

पेडों की मालियत के अनुसार स्टाम्प :- 2100/- रुपये ॥

कुल स्टाम्प :- 3,10,300/- रुपये केवल (7 प्रतिशत की दर से) ॥

विक्रय की जा रही भूमि खेती की भूमि है और समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में अंकित है, विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग या जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है जो नगर निगम, मेरठ की सीमा के अन्दर है। उपरोक्त भूमि में विक्रेता के हिस्से के अनुसार 10 आम के पेड़ हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है इस प्रकार पेड़ों की मूल्यांकन दर अंकन 3,000/- प्रति पेड़ के अनुसार विक्रय पत्र की मालियत में पेड़ों की कीमत जोड़कर स्टाम्प अदा किया गया है। जिसका सर्किल रेट अंकन कृषि प्रयोजन हेतु अंकन 1,20,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है

Mulidh

कमरा :- 2
For AGME INFRA BUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

881736

(2)

जिसके अनुपालन में स्टाम्प अदा गया है। भूमि की किस जमीन से दत्त है। विक्रेता तथा क्रेता आदिवासी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया गया है।

विक्रय पत्र और से मोहम्मद मुजीब सिद्दकी पुत्र मोहम्मद तय्यब अली उर्फ मुफ्ती मोहम्मद तय्यब सिद्दकी निवासी 64, मुफ्तीवाड़ा, मेरठ शहर द्वारा पंजीकृत मुख्तारखाम मोहम्मद नजीब सिद्दकी पुत्र मोहम्मद तय्यब अली उर्फ मुफ्ती मोहम्मद तय्यब सिद्दकी द्वारा पंजीकृत प्रतिनिधिपत्र दिनांक 27-12-2008, जोकि श्रीमान अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ के आदेश दिनांक 22-12-2010 के द्वारा भारतवर्ष में यथास्ताम्पित हुयी है, जिन्हे आगे चलकर 'विक्रेता' लिखा गया है:-

जो कि सम्पूर्ण भूमि मध्ये छाता संख्या 94 खसरा संख्या 398/1 क्षेत्रफल 0.0510 हैक्टेयर, खसरा संख्या 400/10 क्षेत्रफल 0.0510 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402 क्षेत्रफल 0.0760 हैक्टेयर व

कमरा :- 3

For ACME INFRA BUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.

QUARTER



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



881735

खसरा संख्या 404 क्षेत्रफल 0.7840 हेक्टेयर, खसरा संख्या 446 क्षेत्रफल 0.7700 हेक्टेयर खसरा संख्या 447 क्षेत्रफल 0.4430 हेक्टेयर, खसरा संख्या 449 क्षेत्रफल 0.5820 हेक्टेयर, खसरा संख्या 499 क्षेत्रफल 0.1770 हेक्टेयर कुल खसरा नम्बरान 8 कुल भूमि 2.9340 हेक्टेयर का एक बटा आठ भाग यानि 0.3668 हेक्टेयर भूमि यानि प्रथम पक्ष का कुल एक व हिस्सा स्थित ग्राम लिसाडी परगना तहसील व जिला मेरठ पूर्ण स्वामी एवं विक्रयधिकारी मुझ प्रतिज्ञाकारी के व्यवहारी उपरोक्त है और समस्त राजस्व लेखों मुझ प्रतिज्ञाकारी के व्यवहारी के व्यवहारी का नाम पूर्ण स्वामी और संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज चला आ रहा है और मुझ बहसियत मुख्तारआम होने के नाते उपरोक्त भूमि को विक्रय, इकतारना आदि के द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार प्राप्त है कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष मेरे विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। उपरोक्त भूमि पर मुझ प्रतिज्ञाकारी के व्यवहारी ने कोई ऋण किसी सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति, सहकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया है। और नाहि उपरोक्त भूमि को

M. K. Singh



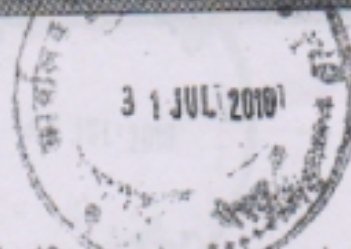
फर्म :- 4
For ACME INFRABUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.

[Signature]
DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

881734



(4)

जमानत के तौर पर कहीं पर बन्धक रक्खा है। मैंने बहसियत मुकदमे आर. वी. के नाते उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का सौदा क्रेता कम्पनी से द्वारा रजिस्टर्ड इकरारनामा कब्जा रहित लिखित दिनांक 30-12-2008 को किया था, जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार, द्वितीय मेरठ के यहाँ बही नं० 1 जिल्द 4205 के पेज संख्या 175 से 206 पर क्रम संख्या 9479 पर दिनांक 30-12-2008 को सबरजिस्ट्रार द्वितीय मेरठ के यहाँ हुआ, किया था। जिस पर क्रेता कम्पनी द्वारा अंकन 88,000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा चुका है। जिसके अनुसार कम्पनी को उपरोक्त वर्णित भूमि का बैनामा अपने या अपने नौमिनी, क्रेता नाम कराने के समस्त हक और अधिकार हैं। रजिस्टर्ड इकरारनामा हासिल है अतः अब कम्पनी ने इच्छा जाहिर की है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का बैनामा उसके पक्ष में कर दिया जाये। क्रेता कम्पनी के प्रस्ताव दिनांक 30-07-2010 के द्वारा श्री रमेश चन्द (डायरेक्टर कम्पनी) को भूमि बैनामा के द्वारा क्रय करने व उससे सम्बन्धित पंजीकरण की समस्त कार्यवाही करने के समस्त अधिकार प्राप्त है। अतः

Handwritten signature



कमरा :- 5
For ACME INFRA BUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.

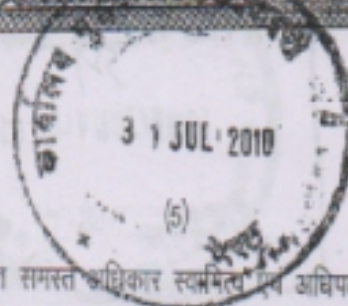
Handwritten signature
DIRECTOR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

881733



इस भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि-आदि सहित, किसी भी अधिकार व स्वत्व को अपने पास रोकें बिना चाहे उसका वर्णन इस विक्रय-विलेख में किया गया है अथवा न किया गया हो स्वस्थ मस्तिष्क के व निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन 29,34,000/- (रुपये उन्नीस लाख चौतीस हजार केवल) कि जिसके आधे अंकन 14,67,000/- (रुपये चौदह लाख सड़सठ हजार केवल) होते हैं विक्रय मूल्य के उपलक्ष के हस्त मैसर्स एमने इन्फ्राबिल्डटेक (इम्प्लिया) प्रा० लिमिटेड (ए कम्पनी इनकोरपोरेटेड अन्धर कम्पनीज एक्ट 1956, कम्पनी-आई डी न० यू45201यूपी2008पीटीसी036392) द्वारा डायरेक्टर श्री रमेश चन्द पुत्र स्व० श्री धर्म दास निवासी 39/16, शिवाजी रोड, मेरठ शहर को विक्रय कर दिया और बंध डाला है और समस्त विक्रय मूल्य क्रेता कम्पनी से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने व्यवहारी व उनके उत्तराधिकारीगणों के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य से निकालकर क्रेता कम्पनी के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य में देकर उनको अपनी भांति

M. K. Singh



कमरा :- 6
F-ACME INFRA BUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.

[Signature]
DIRECTOR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

881732

व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवं विक्रयधिकारी बना दिया है और अब मुझ प्रतिज्ञाकारी के व्यवहारी व उनके उत्तराधिकारीगणों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का विक्रीत भूमि से भविष्य के लिये शेष नहीं रह गया है और न होगा। विक्रीत भूमि का कतई खाली का अधिपत्य स्थल पर क्रेता कम्पनी को सुपुर्द कर दिया है। क्रेता कम्पनी अधिकारी होंगे कि विक्रीत भूमि को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करे और अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावें। यदि राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने के सम्बन्ध में मुझ प्रतिज्ञाकारी व मेरे व्यवहारी व हमारे उत्तराधिकारीगण की अब या भविष्य में कहीं भी सहमति या दस्तखत आदि की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिये सदैव उपस्थित रहेंगे। यदि आज से पूर्व उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध कोई लगान, शुल्क, ड्यूज या टैक्स का बकाया होगा तो उसको जमा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आज के बाद भविष्य में किसी भी प्रकार के लगान, शुल्क, ड्यूज या टैक्स को अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता कम्पनी की होगी, कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में मुझ प्रतिज्ञाकारी के

Mukesh



क्रम :- 7
For ACME INFRABUILDTECH (INDIA) PVT. LTD.
[Signature]
DIRECTOR



6/9/2010

879.50
2934.00 640.1000
2224.00

310.350

310,350

5000
2011

वही न० I की प्रति 5766 के पृष्ठ 317-322
 में क्रमांक 209 पर मांक दि. 20
 की तिथि 22-11

22-11
उम मिश्रा,
द्वितीय मंच

